

आदेश

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक -11-2020-रा0-11 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-i(A) दिनांक 01.05.2020 कोविड महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन को अग्रिम 02 सप्ताह तक प्रभावी बनाये जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन)अनुभाग-3 दिनांक 03.05.2020 द्वारा प्रख्यापित निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आदेश संख्या-2028/एस0टी0-डी0एम0/2020 दिनांक 04.05.2020 के क्रम में निम्नलिखित औद्योगिक गतिविधियों को उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनुमति दी गयी है :-

शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units (EOUs), इण्डस्ट्रीयल स्टेट और इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप शामिल हैं, को आवाजाही पर नियन्त्रण (Access Control) के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अर्न्तवर्ती निर्माण सामग्री शामिल हैं, ऐसी उत्पादन इकाईयों जिनका सतत चलना आवश्यक हो और उनकी सप्लाई चैन, आई0टी0 हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को नॉन कन्टेन्मेन्ट जोन में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर के औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन अनुमति देने हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसका लिंक ipassgbn.azurewebsites.net/auth/login है। उक्त पोर्टल के माध्यम से उद्यमी ऑनलाईन आवेदन कर, अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र पर इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन का परीक्षण करते हुए उसे प्रमाणित किया जायेगा एवं उसके उपरान्त सक्षम प्राधिकारी (नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यीडा प्राधिकरण, यू0पी0एस0आई0डी0, एन0एस0ई0जैड0 एवं अवशेष क्षेत्र हेतु) द्वारा अनुमति पत्र निर्गत किये जायेंगे।

कतिपय उद्यमियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाईयों के ऑफिस बन्द होने के कारण अभिलेख पोर्टल पर तत्काल अपलोड कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त को संज्ञान में लेते हुए पोर्टल की व्यवस्था के अतिरिक्त ई-मेल के माध्यम से अनुमति प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जायेगी।

उद्यमी अपना निम्नलिखित विवरण सक्षम प्राधिकारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शित ई-मेल पर उपलब्ध करा दें तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त विवरण के आधार पर उद्यमी को उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नॉन कन्टेन्मेन्ट जोन में आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कराते हुए अनुमति तत्काल प्रदान करेंगे, ताकि वे यथाशीघ्र इकाई का परिचालन कर सकें। उद्यमियों के पास अवसर होगा कि वे self regulation प्रक्रिया के तहत उपरोक्त पोर्टल में वांछित अभिलेखों को एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेंगे। उद्यमियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-i(A) दिनांक 01.05.2020 एवं उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन)अनुभाग-3 दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित इकाईयों की संचालन सम्बन्धी प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन करना होगा।

उद्यमी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला विवरण निम्नवत है :-


- उद्यमी/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम/मोबाईल नं0/ई-मेल
- इकाई का नाम/पूरा पता
- इकाई द्वारा उत्पादित वस्तु/सेवा का नाम

- आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या

सक्षम प्राधिकारी का नाम/पदनाम/ई-मेल

- नोएडा प्राधिकरण - industry@noidaauthorityonline.com, (डा० अविनाश त्रिपाठी, ओ०एस०डी०)
- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण - aceod@gnida.in, (श्री दीपचन्द्र, ए०सी०ई०ओ०)
- यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण - skbhatiapcs@gmail.com (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, ए०सी०ई०ओ०)
- एस०ई०जैड० - dderks@nsez.gov.in (श्री आर०के०श्रीवास्तव, उप विकास आयुक्त)
- यू०पी० सीडा - rmsurajpur@upsidc.com (श्री अजयदीप सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक)
- अन्य अवशेष क्षेत्र हेतु - dcigbn@gmail.com (श्री अनिल कुमार, उपायुक्त उद्योग, गौतमबुद्धनगर)

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(सुहास एल०वाई०)
जिला मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।


पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा/नौएडा/यीडा।
2. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
3. विकास आयुक्त, Special Economic Zones (SEZ), Export Oriented Units (EOU), गौतमबुद्धनगर।

निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

4. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/प्रशासन, गौतमबुद्धनगर।
6. श्री दीपचन्द्र, ए०सी०ई०ओ० ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
7. श्री बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी-भू०अ०
8. श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, ए०सी०ई०ओ० यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण
9. डा० अविनाश त्रिपाठी, ओ०एस०डी०, नोएडा प्राधिकरण
10. श्री आर०के०श्रीवास्तव, उप विकास आयुक्त, एस०ई०जैड०
11. श्री अजयदीप सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी० सीडा
12. नगर मजिस्ट्रेट नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
13. उप जिलाधिकारी, सदर/दादरी/जेवर।
14. उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्धनगर।
15. उप निदेशक-कारखाना, गौतमबुद्धनगर।
16. उप श्रमायुक्त, गौतमबुद्धनगर।
17. आर०एम०-यू०पी०एस०आई०डी०सी०, गौतमबुद्धनगर।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
19. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
20. अन्य समस्त जनपद स्तरीय/विभागीय अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।


जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।